1

14-10-79
6/10

सं: कल्याण-क(3)-4/79
हिमाचल प्रदेश सरकार
कल्याण विभाग
......

दिनांक शिमला-171002, 29 सितम्बर, 1979

प्रेषक

सचिव (कल्याण)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

सेवा में

समस्त जिलाधीश,
हिमाचल प्रदेश ।

विषय:- विधवा पैंशन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस प्रदेश की विधवाओं को एक सितम्बर, 1979 से पैंशन देने का निर्णय किया है। यह पैंशन संलग्न मार्गदर्शन (गाईडलाइन्ज़) के आधार पर दी जाएगी जबतक कि नियमित नियम जारी नहीं होते। तमाम जिलाधीश इस पैंशन देने में सक्षम अधिकारी होंगे और वे अपने स्वीकृति आदेश में कृपया यह उल्लेख करें कि स्वीकृति वित विभाग की सहमति से जारी किए जा रहे हैं। इस बारे में आपको बजट प्रावधान जिला अनुसार पहले ही किया जा चुका है ।

भावदीय

AD

(हस्ताक्षर)

अवर सचिव (कल्याण) हि.प्र. सरकार
शिमला-2

सं:कल्याण-क(3)-4/79 दिनांक शिमला-171002, 29 सितम्बर, 1979
प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला को सूचनार्थ ।
2. महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़, शिमला-3 ।

(हस्ताक्षर)

अवर सचिव (कल्याण) हि.प्र. सरकार
शिमला-2

43

विधावा पैंशन देने हेतु मार्गदर्शन

1. सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत उन नि:सहाय विधावाओं को बिना किसी आयु सीमा के आर्थिक सहायता देना है जिनके पालन पोषण/देखरेख का कोई साधन न हो ।
2. ऐसी विधावाएं जो बोनाफाईड हिमाचली हो ।
3. ऐसी विधावाएं जिनका कोई भी जीवित व्यस्क पुत्र/अविवाहित पुत्री न हो। जिनकी आजीविका का कोई साधन न हो तथा जिसकी मासिक आय सब स्त्रोतों से 50 रूपए से अधिक न हो ।
4. ऐसी विधावाएं जिनकी सन्तान 18 वर्ष से कम उमर की हो तथा उनका पालन पोषण का कोई साधन न हो। ऐसी विधावाएं जो अंत्योदय परिवारों में हो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगा। पैंशन 50 रूपए प्रति मास या ऐसी दर जो समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी ।
5. विधावा पैंशन की स्वीकृति हेतु प्रार्थी संलग्न फार्म-। पर अपने प्रार्थना पत्र पत्र सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी या उपमण्डलाधिकारी, तहसीलदार या विकास खण्ड अधिकारी के द्वारा उन्हें देगी ।यह प्रार्थना पत्र फार्म निशुल्क उपरोक्त अधिकारियों तथा निदेशक, कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला के कार्यालय में उपलब्ध होगें।
6. प्रार्थी की आय के बारे विस्तृत जांच पड़ताल राजस्व विभाग के अधिकारियों जो नायब तहसीलदार से नीचे न हो, द्वारा करवाए तथा अन्य विवरण जो प्रार्थना पत्र में दिए हैं उनका सत्यापन भी करें। उपरोक्त औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरान्त जिलाधीश की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगें ।
7. सम्बन्धित जिलाधीश पैन्शन स्वीकृत करने में सक्षम होगें ।
8. विधावाओं को स्वीकृत की गई पैंशन त्रैमासिक मनीआर्डर द्वारा भेजी जाएगी। मनीआर्डर का व्यय सरकार बहन करेगी ।
9. यदि किसी समय स्वीकृति अधिकारी को यह पता लग जाए कि पैंशन गलत सूचना के आधार पर दी गई है तो वह उसे बन्द कर सकता है।
10. पैंशनर विधावा के पुर्नविवाह निर्धारित आयुसीमा से किन्हीं कारणों से वृद्धि तथा मृत्यु पर पैंशन बंद कर दी जाएगी ।

शेष पृष्ठ 2 पर.......

हिमाचल प्रदेश सरकार
कल्याण विभाग ।

...ाण-क(3)-4/79, दिनांक शिमला-171002, 28/2/1980

अधिसूचना
==========

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, विधवाओं को पैन्शन देने सम्बन्धी निम्नलिखि... को बनाते हैं :-

यह नियम हिमाचल प्रदेश विधवा पैन्शन नियम 1979 कहलाएंगे ।

यह नियम सारे हिमाचल प्रदेश में एक सितम्बर 1979 से लागू होंगे ।

इन नियमों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत उन निःसहाय विधवाओं को बिना किसी आयु सीमा के आर्थिक सहायता देना हैं जिनके पालन पोषण /देखरेख का कोई साधन न हो ।

इन नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित विधवाएं पैन्शन की हकदार होंगी :-

1:ऐसी विधवाएं जो वेनाफाईड हिमाचली हों ।
2:ऐसी विधवाएं जिनको कोई भी जोकि व्यस्क पुत्र/अविवाहित पुत्री न हो। जिनकी आजीविका का कोई साधन न हो तथा जिसकी मासिक आय 50 रुपए से अधिक न हो ।
3:ऐसी विधवाएं जिनकी सन्तान 18 वर्ष से कम ऊमर की हो तथा उनका पालनपोषण का कोई और साध... न हो ।

...न की दर — पैन्शन 50 रुपए प्रतिमास या ऐसी दर जो समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

...र्थनापत्र — विधवा पैन्शन की स्वीकृति हेतु प्रार्थनापत्र संलग्न फार्म 1-पर अपने प्रार्थनापत्र सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी या उपमण्डल अधिकारी, तहसीलदार या विकास खण्ड अधिकारी, के द्वारा उन्हें देगी। यह प्रार्थनापत्र फार्म निशुल्क उपरोक्त अधिकारियों तथा निदेशक कल्याण हिमाचल प्रदेश, शिमला के कार्यालय में उपलब्ध होंगे ।

...पन — नियम 6 में दर्शाए गए अधिकारियों का कर्तव्य होगा कि वे प्रार्थी की आय के बारे में विस्तृत जांच पड़ताल राजस्व विभाग के अधिकारियों जो नायब तहसीलदार से

नीचे न हो द्वारा क[illegible] विवरण जो प्राथ
दिए हैं उनका सत्यापन [illegible] औपचारिकताओं
करने के बाद ये अधिकारी प्रार्थनापत्रों को सम्बन्धि
जिला कल्याण अधिकारी आगामी कार्यवाही

पेन्शन की स्वीकृति की शक्तियां

8: सम्बन्धित जिलाधीश पेन्शन स्वीकृत करने
जो कि नियम 6 में दिए गए अधिकारियों की सिफारिशों
में रखते हुए उचित आदेश करेंगे। स्वीकृति देते समय जिला
उद्देश्यके लिए उपलब्ध धनराशी को ध्यान में रखेंगे।
पूर्ति महालेखाकार हिमाचल प्रदेश, निदेशक कल्याण, वि
विभाग, हिमाचल प्रदेश व अवर सचिव (कल्याण) को
जाएगी (भी प्रस्तुत करेंगे)। जिस विधवा को एक बार प
स्वीकृत हो जाएगी उसे हर वर्ष पेन्शन स्वीकृत करने की
नहीं होगी।

पेन्शन की राशि को भेजना

9: जिलाधीश की स्वीकृति के पश्चात सम्बन्धि
कल्याण अधिकारी विधवा को जिसे पेन्शन स्वीकृत हुई
मनीआर्डर द्वारा पेन्शन भेजेंगे तथा मनीआर्डर का व्यय
करेगी। पेन्शन त्रैमास के समाप्त होने के पश्चात ही भेजी
करेगी। यदि किसी कारण मनीआर्डर वापिस आ जाए तो
भी मनीआर्डर भेजने का व्यय सरकार द्वारा ही वहन किया
यदि किसी केस में पेन्शन की राशि जिला कल्याण अधिका
विशेष परिस्थितियों में स्वयं नकदीरूप से देना चाहे तो
धीश की पूर्व स्वीकृति से ही ऐसा करेगा तथा धन देने से
सुनिश्चियतकरना होगा कि प्रार्थी वही है जिसके नाम धन
स्वीकृत हुई उनकी निजि जिम्मेवारी होगी।

पेन्शन का बन्द किया जाना।

10 स्वीकृति अधिकारी को यह अधिकार होगा कि
समय उसे यह ज्ञात हो जाए कि पेन्शन गलती या गलत सूचना
पर स्वीकृत हुई थी, या जिन परिस्थितियों के आधार पर
दी गई वह अब नहीं है तो वह पेन्शन बन्द करने के आदेश
है।

क: पेन्शन पेन्शनर की मृत्यु पर बन्द हो जाएगी यदि
की मृत्यु पेन्शन वसूल करने से पहले ही हो जाए तो दी
वाली पेन्शन की अदायगी नहीं की जाएगी।

ख: विधवा के पुनर्विवाह पर पेन्शन स्वीकृति अधिकारी

ग: यदि विधवा को निजि आय जो अन्य साधनों से हो पैन्शन स्वीकृति के बाद निर्धारित आय सीमा से बढ़ जाए तो उसकी पैन्शन बन्द कर दी जाएगी ।

घ: जिन विधवाओं को वृद्धावस्था पैन्शन स्कीम के अन्तर्गत पैन्शन दी जा रही हैं उन्हे इस योजना के अन्तर्गत पुनः पैन्शन नही दी जाएगी ।

ङ: अगर ऐसी विधवाएं अपनी चल या अचल सम्पति इन नियम के जारी होने के पश्चात अकारण ही बेच दे या हिब्बा कर दे और इस सूरत में उनकी मासिक आय 50 रुपए से कम हो जाए तो उस दिशा में वह पैन्शन की हकदार नहीं होगी ।

11: पते में परिवर्तन

यह पैन्शनर का दायित्व होगा कि यदि उसके पते में कोई परिवर्तन हो तो वह तुरन्त पते की सूचना सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को देगी । जो विधवा हिमाचल प्रदेश से बाहर तीन महीने से अधिक समय तक रहेगी तो वह सामान्यतः पैन्शन को हकदार नहीं होगी । परन्तु यदि स्वीकृति अधिकारी विधवा के प्रदेश से बाहर रहने की परिस्थितियों से सन्तुष्ट हों तो वह पैन्शन जारी रख सकते हैं ; परन्तु यदि पैन्शनर लगातार एक साल से भी अधिक समय तक प्रदेश से बाहर रहें तो उसकी पैन्शन बन्द कर दी जाएगी । यदि पैन्शनर एक साल से अधिक अवधि के बाद हिमाचल प्रदेश में वापिस आ जाती हों तो उसको प्रार्थना पत्र की औचित्यता को ध्यान में रखते हुए पैन्शन दोबारा जारी की जा सकती हैं ।

द्वितीय भाग

12: प्रार्थनापत्र की विधि निर्माण

प्रार्थनापत्र को प्राप्ति कर जो निर्धारित फार्म पर होगी का अभिलेख रजिस्टर में किया जाएगा (प्रपत्र विधवा पैन्शन -3) जिसका रिकार्ड जिला कल्याण अधिकारी, के कार्यालय में होगा । प्रत्येक प्रार्थनापत्र के विषय में पावती कार्ड जारी होगा जिसमें प्रार्थी के पंजीकरण संख्या का उल्लेख भविष्य में पत्राचार हेतु होगा ।

13: प्राथमिकता

पैन्शन देते समय प्राथमिकता निम्नलिखित आधार पर दी जाएगी :-

(क) ऐसी विधवाएं जिनका चयन अन्त्योदय परिवार में किया गया है ।

(ख) ऐसी विधवा जिसका कोई पालनपोषण करने वाला न हो तथा जिसकी कोई आय न हो ।

(ग) ऐसी विधवा जो पुराने या असाध्य रोग से ग्रस्त हों ।

(ET) ऐसी विधवा जिसको बाढ़, अग्नि या किसी अन्य प्रा[illegible] प्रकोप से हानि हो जाए।

14: पेन्शन स्वीकृत होने की तिथि से देय होगी।

15: किसी भी न्यायालय द्वारा की गई कुर्की इस पैन्श[illegible] लागू नहीं होगी।

16: यदि कोई विधवा किसी कारण हस्ताक्षर नहीं कर स[illegible] अपने अंगूठे/उंगलियों के चिन्ह भी नहीं लगा सकती तो[illegible] राशि का भुगतान डाकतार विभाग के नियमों के अनु[illegible]

17: अगले तीन महीनों का भुगतान तब तक नहीं किया जाए[illegible] पिछली तिमाही के भुगतान की रसीद कल्याण अधिका[illegible] के कार्यालय में प्राप्त नहीं की जाती।

18: यदि किसी विधवा की राशी उसकी मृत्यु या किसी अ[illegible] कारण से वापिस आ जाती है तो उस राशी को इस [illegible] के अन्तर्गत आहरण किए जाने वाले धन में से कम करके सम[illegible] जित की जाएगी। वापस आया धन कैश बुक में लिया [illegible] तथा इसके समायोजन का ब्यौरा फार्म विधवा पैंशन -[illegible] रखा जाएगा।

19: पैंशन का जो भी भुगतान किया जाएगा उसका विवरण[illegible] विधवा पैंशन फार्म नं0 4 पर प्रत्येक जिले में रखा जाए[illegible] प्रत्येक लेखा पृथक पृष्ट व पृथक लेखा संख्या के अंतर्गत लैजर में रखा जाएगा।

20: प्रत्येक मनीआर्डर पर शब्द (हिमाचल प्रदेश विधवा पैंशन[illegible] अंकित होगा। इसी प्रकार जो मनीआर्डर की रसीदें जाए[illegible] उन पर भी शब्द "हिमाचल प्रदेश विधवा पैंशन"-त्रैमास[illegible] अंकित होगा। मनीआर्डर भेजने से पहले आहरण तथा [illegible] अधिकारी यह भली प्रकार जाँच लेगा कि पैंशनर का ठी[illegible] व पता उसमें दिया गया है। वही अधिकारी निजी लैजर[illegible] के बनाने तथा उस पर सत्यापन के बाद हस्ताक्षर करने क[illegible] जिम्मेवार भी होगा।

21: प्रत्येक त्रैमास में निजी लैजर लेखा का निरीक्षण किया ज[illegible] तथा जिन विधवाओं की पैंशन की अदायगी नहीं की ग[illegible] उनकी छानबीन होगी। यदि पैंशनर की रसीद आने में ती[illegible] सप्ताह से अधिक समय लग जाए तो आहरण तथा वितर[illegible] अधिकारी डाक तार विभाग के साथ इस मामले को उठा[illegible] गा। पैंशनों की मनीआर्डर की रसीदें सम्बन्धित जिला क[illegible] अधिकारी के कार्यालय में भली प्रकार ताले के अन्दर दो [illegible] या जब तक आडिट नहीं हो जाए जो भी बाद में हो, सुर[illegible] रखी जाएगी।

बिना भुगतान की राशी

आहरण तथा वितरण अधिकारी ऐसे मनीआर्डर पर जो कि बिना भुगतान के वापिस आएगें कड़ी नजर रखेगें तथा उसका वितरण विधवा पैंशन फार्म नं० 5 पर रखा जाएगा । तथा प्रत्येक इन्द्राज पर उसके हस्ताक्षर होगें ।

निदेशक कल्याण विभाग विधवा पैंशन स्कीम के प्रमुख इन्चार्ज होगें तथा वह इस स्कीम को ठीक रूप से कार्यान्वित करने हेतु समय समय पर उचित आदेश दिया करेगें ।

लेखा शीर्ष

विधवा पैंशन तथा मनीआर्डर का व्यय निम्नलिखित लेखा शीर्ष या सरकार द्वारा निर्धारित लेखा शीर्ष से किया जाएगा :-

" 288-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-ई- सामाजिक कल्याण (योजना)

यह वित्त विभाग की पूर्व सहमति जो उनके अ0 नं0 110-8-2/74- दिनांक 17-1-80 द्वारा प्राप्त की गई है के उपरान्त जारी किए जाते है ।

सचिव (कल्याण)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन सं0= कल्याण-क(3)-4/79- दिनांक शिमला 171002, 20/2/1980

प्रतिलिपि :-

समस्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।

समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।

समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।

निदेशक कल्याण, हिमाचल प्रदेश ।

समस्त जिला कल्याण एवं प्रोबेशन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।

उप नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री हि0प्र0 शिमला-5, को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है ।

राम चन्द्र
अवर सचिव (कल्याण)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

ाशिव/
6-2-80

---000---

(11)

DIRECTORATE OF SOCIAL & WOMENS' WELFARE
Dy. No. 16665
Dated 22-8-86
Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPTT. OF SOCIAL & WOMEN'S WELFARE

NO.WLF(A)3-14/75-Vol.II Dated.Shimla-2,the 13th August,1986.

NOTIFICATION

The Governor Himachal Pradesh is please to make the following Rules to amend the H.P.Old Age Pension and Relief to the disabled persons rules as notified vide this Deptt. Notification No.12-2/71-Wel.Sectt. dated the 28th Feb. 1973 and further amended vide Notification No.WLF-A(3)-14/75 dated the 29-8-77,9-8-78,29-9-78,25-11-78,15-9-79,20-2-80, 27-9-80,10-11-80,6-1-81,11-2-81,1-5-81,20-7-81 and 11-7-1984 namely:- The H.P.Old Age Pension and relief to disabled persons (14th Amendment) Rules,1986.

Short title & commencement	1.(i)	These rules shall be called the H.P.Old Age Pension and Relief to disabled Persons (14th Amendment) Rules,1986.
	(ii)	These rules shall come-into force w.e.f.1-4-1986.
Amendment to rule 4.		In rule 4 of H.P.Old Age Pension and relief to disabled Persons rules,the figure Rs.60 shall be substituted for the figure of Rs.50/-.

By order

(Arvind Kaul)
Secretary,Welfare
to the Govt. of Himachal Pradesh.

Cont...2/-

No.WLF-A(3)-14/75(Vol-II) dated.Shimla-2,the 13th Augus

Copy forwarded to :-

1. All Administrative Secretaries in H.P.
2. All Heads of Departments in H.P.
3. All Deputy Commissioner in H.P.
4. The Director of Welfare H.P.Shimla-2,(with 10 spare
5. All Sub-Divisional Magistrates in H.P.
6. All Distt. Welfare Officers in H.P.(with 20 spare
7. The Registrar H.P.High Court,Shimla(with 10 spare
8. The Manager H.P.Govt. Press Shimla-4, for publicat the H.P.Rajpatra.
9. The Finance Deptt.(Regulations)Deptt. H.P.Sectt.Sh

Under Secretary,Wel
to the Govt. of Himachal P

No.Kalyan(C)1-2/81(Part-II)
Government of Himachal Pradesh,
Social & Women's Welfare Deptt.

From

The Secretary, Welfare
to the Government of Himachal Pradesh.

To

The Director of Welfare,
Himachal Pradesh,
Shimla-2.

Dated.Shimla-2, the 12 th December., 1988.

Subject:- Follow-up action on the announcements made through the Budget Speech while presenting the Budget 1988-89.

Sir,

With reference to your letter No.5-11/82-Wel.AH dated 4th Oct., 1988, on the above subject, I am directed to say that it has been decided to grant pension to lepers @ of Rs.60/- P.M. w.e.f.1-7-1988 i.e. the date from which Old Age/Widow Pension in cases pending on 31-3-88 has been granted. The procedure prescribed for sanction/disbursement of the Old Age/disabled relief allowance/Widow Pension will also apply in this case.

Yours faithfully,

Under Secretary, Welfare
to the Govt. of Himachal Pradesh.

संख्या:-5-11/88-वेल-एच.
निदेशालय समाज एवं महिला कल्याण विभाग,
हिमाचल प्रदेश।

सेवा में

अवर सचिव(कल्याण),
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला-2

दिनांक, शिमला-2 4 OCT 1988

विषय:- बजट स्पीच 1988-89 में की गई घोषणा पर कार्यवाही कुष्ठरोगियों को पुनर्स्थापना भत्ता।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान अवर सचिव(बजट) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या:- फिन-ए-सी(2)16/88 दिनांक 14.9.88 जो कि निदेशक, योजना, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 को प्रेषित किया गया है तथा पृष्ठांकित प्रति सचिव(कल्याण) हि0प्र0 सरकार तथा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को की गई है, की ओर आकर्षित कर लिखा जाता है कि वित्त विभाग द्वारा कुष्ठ रोगियों को पुनर्स्थापना भत्ता दिये जाने हेतु 27.22 लाख रुपये की धनराशि योजना मद में आबंटित की है जिसे अनुपूरक अनुदान मांगों में प्रावधित करवाने हेतु अलग से कार्यवाही की जाएगी।

विभाग द्वारा निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, हि0प्र0 सरकार से अनुरोध किया गया है कि प्रदेश में रह रहे कुष्ठ रोगियों की जिलावार सूचि पूर्ण पते सहित इस कार्यालय में भिजवाई जाये ताकि कुष्ठ रोगियों को पुनर्स्थापना भत्ता देने के मामले पर आगामी कार्यवाही की जा सके। निदेशक, स्वास्थ्य द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सूचियाँ शीघ्र भेजने हेतु निर्देश दिये हैं। स्वास्थ्य विभाग से कुष्ठरोगियों की सूचियाँ प्राप्त होने में अभी कुछ समय और लगेगा सूचियाँ प्राप्त होने पर विवरण सरकार को भेजा जाएगा। यह पुनर्स्थापना भत्ता उन सभी कुष्ठ रोगियों को दिया जाएगा जो कुष्ठ गृहों में रह रहे हों या कहीं और रह रहे हो तथा इसके लिए आयु की कोई सीमा नहीं होगी तथा यह भत्ता 1.4.1988 से 60/-रुपये प्रति माह की दर से दिया जाएगा, जिसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप आवश्यक स्वीकृति प्रदान करें जिससे सूचियाँ प्राप्त होने पर स्वीकृति के मामले पर आगामी कार्यवाही की जा सके। स्वीकृति जारी करने की शक्ति जिलाधीश/उप मण्डल अधिकारियों(नागरिक) को ही होगी जो कि पेंशन की स्वीकृतियाँ भी देते हैं।

भत्ते का वितरण पेंशन की भांति हमारे जिला कल्याण अधिकारि
द्वारा मनीआर्डर द्वारा किया जायेगा।

भवदीय

निदेशक,
समाज एवं महिला कल्याण,
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन संख्या:- उपरोक्त दिनांक, शिमला-2

प्रतिलिपि:- 4 OCT 1980

1. निजी सहायक, निदेशक, समाज एवं महिला कल्याण, हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ प्रेषित है।

निदेशक,
समाज एवं महिला कल्याण,
हिमाचल प्रदेश

———:———

(14)-215

No.5-11/88-Wel-AH
Directorate of Social & Women's Welfare,
Himachal Pradesh.

To

All the District Welfare Officers
in Himachal Pradesh.

Dated Shimla-2, the 25 NOV 1988

Subject: Sanction of rehabilitation allowance for lepers.

Memo,

As per the information supplied by you — number of lepers are there in your district. All these persons excepting those who are already getting pension, employed in Government service and public undertaking and those who are cured of the disease have to be granted pensions at the rate of Rs.60/- per month w.e.f. first of July, 1988. Accordingly, you are advised to process the cases of all the eligible lepers and place them before the District Welfare Committee for sanction of pension. Kindly ensure that all the eligible people are paid their pension immediately out of the existing budget meant for pension scheme.

Director,
Social & Women's Welfare, 25/11/88
Himachal Pradesh.

o/c

Endst.No.5-11/88-Wel-AH Dated Shimla-2, the 25 NOV 1988

Copy to the Under Secretary, Social & Women's Welfare to the Government of H.P. Shimla-2 for information.

Director,
Social & Women's Welfare,
Himachal Pradesh.

o/c

15 222

Telegram State Ordinary

Welfare Officer,
Solan/Nahan/Una/Hamirpur/Bilaspur/Mandi/Kulu/
Dharamsala/Chamba / Reckong-Peo / Keylong.

No: 5-11/88. Wel.AH. (.) Refourlet 25th November regarding sanction rehabilitation allowance for lepers. Procedure prescribed for sanction/disbursement of Old Age/Disabled Relief Allowance/ Widow Pension will apply in these cases (.) All eligible cases be accorded sanction from 1.7.1988 before 31.12.88 positively and compliance reported failing which your personal responsibility will be fixed.

Samajkalyan.

N.T.T.
Shimla-2, the

for Director,
Social & Women's Welfare,
Himachal Pradesh.

No: 5-11/88. Wel.AH. Dated Shimla-2, the

Copy to the Under Secretary(Wel) to Govt. of H.P. with reference to his letter No: Kalyan-(C)1-2/81 (Part II) dated 12.12.1988 for information.

Copy by post in confirmation is forwarded to all the District Welfare Officers in H.P. (except Shimla) for information and necessary action.

Copy to the District Welfare Officer, Shimla for information and similar action.

Copy to the PA to DW.

for Director,
Social & Women's Welfare,
Himachal Pradesh.

Dy.No. 20465
Dated 28.10.89
HIMACHAL PRADESH

हिमा...

कल्या...

संख्या-कल्याण(ए)-3-... शिमला-2, 29-9-1989.

अधि...

राज्यपा... वृद्धों, अपंगों तथा विधवाओं को पेंशन देने से सम्बन्धित ... प्रकाशित करते हैं:-

व्याख्या:-

1. यह नियम हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) नियम 1989 कहलाएंगे ।

यह नियम सारे हिमाचल प्रदेश में इस अधिसूचना को जारी होने की तिथि से लागू माने जाएंगे ।

उद्देश्य:-

2. इन नियमों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत उन वृद्धों, अपंगों तथा विधवाओं को आर्थिक सहायता देना है, जिनके पालन-पोषण एवं देखरेख का उचित साधन न हों ।

पात्रता:-

3. इन नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित वृद्ध, अपंग तथा विधवाएं पात्र होंगे ।

(I) वृद्ध:-

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 साल या इससे अधिक हो, उनके पालन-पोषण एवं देखरेख का उचित साधन न हों तथा सब स्त्रोतों से उनकी वार्षिक आय 2000/-रूपये से अधिक न हो ।

(II) क.

अपंग:- ऐसे अपंग व्यक्ति जिनकी अपंगता 50 प्रतिशत या इससे अधिक हो जिनके पालन-पोषण तथा देखरेख का कोई साधन न हो तथा जिनकी वार्षिक आय 2000/- रूपये से अधिक न हो तथा अपंगता उनको रोजी-रोटी कमाने में बाधक सिद्ध होती हो ।

(ख) ऐसे अपंग बच्चे जिनकी अपंगता 50 प्रतिशत या इससे अधिक हो तथा जिनके माता व पिता या दोनों ही न हों तथा माता-पिता की वार्षिक आय 2000/-रूपये से अधिक न हों ।

(ग) ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से अविकसित तथा पागल हों, जिनके पालन-पोषण तथा देखरेख का कोई साधन न हों, वह अपनी रोजी-रोटी कमाने में ....

पृष्ठ-2/-

असमर्थ हों तथा उनकी वार्षिक आय 2000/- रुपये से अधिक न हो ।

(ग)(1) ऐसे व्यक्तियों को अपंग राहत भत्ता उनके माता पिता अथवा अभिभावक (गार्डियन) के माध्यम से दिया जाएगा ।

(III)
विधवायें:

ऐसी विधवाएं जिनका कोई भी जीवन निर्वाह का साधन अथवा देख रेख करने वाला/वाली न हो और जिनकी वार्षिक आय सभी साधनों से 2000/- रु० से अधिक न हो, विधवा पैन्शन की पात्र होंगी ।

(ख) ऐसी विधवाएं जिनका कोई भी विवाहित व्यस्क पुत्र/अविवाहित पुत्री किसी रोजगार में न लगी हो तथा जिनकी वार्षिक आय 2000/- रुपये से अधिक न हो ।

परन्तुक:-

4(I). उपरोक्त व्यक्तियों का हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक होगा ।

(II). विधवाएं तथा अपंगों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी ।

(III) भिखारी पैन्शन पाने के पात्र नहीं होंगे । ऐसे अपराधी जिनके अपराधिक मामले पुलिस में दर्ज होंगे या जिनके मामले न्यायालय में चल रहे होंगे, पैन्शन के पात्र नहीं होंगे।

(IV) वृद्धावस्था पैन्शन के प्रार्थियों के यदि व्यस्क लड़के आजीविका कमा रहे हों और उनकी मासिक आय 1000/- रुपये से अधिक हो तो ऐसे व्यक्ति पैन्शन के पात्र नहीं होंगे तथा उनके लड़कों को अपने वृद्ध माता पिता का पालन पोषण करना होगा ।

(5) वृद्धों को दी जाने वाली पैन्शन वृद्धावस्था पैन्शन कहलाएगी, अपंगों को दी जाने वाली पैन्शन अपंग राहत भत्ता कहलाएगा तथा विधवाओं को दी जाने वाली पैन्शन विधवा पैन्शन कहलाएगी ।

पैन्शन की दर:- प्रत्येक व्यक्ति को पैन्शन 60/- रुपये प्रति मास की दर से या उस दर से जो सरकार समय-2 पर निर्धारित करेगी, दी जाएगी ।

प्रार्थना पत्र का देना :-

6.(1) नियम-3 के अन्तर्गत पैन्शन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र फार्म पर प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित जिले के जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । पैन्शन के फार्म उपरोक्त अधिकारियों के अतिरिक्त कल्याण विभाग के निदेशालय, जिलाधीशों के कार्यालय तथा पंचायत में

...3...

में मुफ्त उपलब्ध होंगे। तहसील कल्याण अधिकारी प्रार्थियों के प्रार्थना पत्र पूर्ण करवाने में सहायता करेंगे।

(ii) 18 वर्ष की आयु से कम वाले अपंग बच्चों के प्रार्थना पत्र उनके माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।

(iii) प्रार्थी अथवा अभिभावक (गार्जियन) को प्रार्थना पत्र पर अपनी इच्छा व्यक्त करनी होगी कि वह पैन्शन डाकघर में अपना एकाउन्टस खुलवा कर प्राप्त करना चाहता है या मनीआर्डर द्वारा प्राप्त करना चाहता है।

<u>सत्यापन</u>

7(i) जिला कल्याण अधिकारी अथवा तहसील कल्याण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसे एक रजिस्टर में तुरन्त दर्ज किया जाए तथा प्रार्थना पत्र को रजिस्टर का क्रमांक सौंपा जाए। यह रजिस्टर अनुबंध पेन्शन फार्म-2 के प्रपत्र पर रखा जाएगा। अधिकारी तुरन्त प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की पावती भेजेगा तथा उसमें उसके प्रार्थना पत्र का क्रमांक देते हुए सुझाव देगा कि भविष्य में पत्राचार करते समय उस क्रमांक का ब्यौरा वहां दिया जाए। साथ ही यदि प्रार्थना पत्र में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे या तो स्वयं पूर्ण करवा दें या प्रार्थी को पूर्ण कराने हेतु लिख देगा। यह अधिकारी प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्यों का सत्यापन [illegible] की सहायता से करेगा। जहां आवश्यक होगा, सरपंच तथा ग्राम पंचायत के प्रधान/सचिव की सहायता से करेगा। राजस्व विभाग के अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा। आयु के बारे में शक होने पर वह आयु के बारे में प्रमाण पत्र सिविल सर्जन से प्राप्त करेगा। प्रार्थी की आय के बारे में भूमि या मकान आदि से यदि हो तो उसकी भी वास्तविक आय प्रार्थी को प्राप्त हो रही होगी वहां आय आबकारी अधिकारियों द्वारा निश्चित की जाएगी।

(ii) अपंग व्यक्तियों तथा बच्चों के बारे में निकटतम सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी के चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र ——— प्रार्थना पत्र के साथ लगाना होगा या जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी प्राप्त करेगा।

(iii) विधवाओं के विधवा होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित पंचायत या नगरपालिका से प्राप्त किया जाएगा। इस प्रकार का प्रमाण पत्र विधवाओं को प्रति वर्ष जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विधवा ने पुनर्विवाह नहीं किया है।

पैन्शन स्वीकृति हेतु कार्यविधि:-

8. तहसील कल्याण अधिकारी प्राप्त प्रार्थना पत्र का मौके पर जाकर व्यक्तिगत रूप से सत्यापन करने के उपरान्त अपनी रिपोर्ट प्रार्थना पत्र पर देंगे। यह रिपोर्ट नियम-7(1) में दिए गए रजिस्टर में भी दर्ज की जाएगी जहां प्रार्थी [illegible]

का पात्र नहीं पाया जाएगा वहाँ अधिकारी प्रार्थी को प्रार्थना [illegible]
पात्र न होने के विवरण सहित, तुरन्त सूचित करेगा । जहाँ प्रार्थी [illegible]
जाएगी वहाँ रजिस्टर के क्रमांक अनुसार प्राथमिकता निर्धारित करके
सहित प्रस्ताव तहसील कल्याण अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी [illegible]
जिन प्रार्थना पत्रों का सत्यापन जिला कल्याण अधिकारी द्वारा [illegible]
उन पर जिला कल्याण अधिकारी अपने कार्यालय में ही आरक्षित [illegible]
सारे जिले के प्रार्थना पत्र संकलित करके रजिस्टरों में दिए गए प्राथमिक[illegible]
पर उनकी सूचि जिला कल्याण अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी [illegible]
जिला कल्याण समिति के समुख समिति की बैठक में विचारार्थ तथा [illegible]
की जाएगी जिला कल्याण समिति द्वारा जो निर्णय [illegible]
प्रत्येक व्यक्ति के नाम के आगे लिखे जायेंगे।

पेंशन का वितरण त्रैमासिक किया जाएगा जो [illegible]
में ही किया जाएगा।

<u>पेन्शन स्वीकृति का [illegible]:-</u>

1. पेंशन की स्वीकृति की शक्ति सम्बन्धित जिला के जिला [illegible]
होगी जो कि जिला कल्याण समिति द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुसार [illegible]
जारी करेंगे । जिला कल्याण समिति के लिए गए निर्णय [illegible]
उनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे । जिलाधीशों के साथ-2 [illegible]
विभाग भी पेंशन स्वीकृत करने में सक्षम होंगे । [illegible]
स्थानीय आयुक्त तथा अतिरिक्त जिलाधीश में निहित होंगी । [illegible]
रिकार्ड सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारियों/तहसील कल्याण अधिकारियों [illegible]
के कार्यालय में ही रहेंगे । स्वीकृति उपरान्त स्वीकृति की प्रति [illegible]
प्रदेश सरकार, अवर सचिव, कल्याण तथा अवर सचिव [illegible]
कल्याण सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी तथा तहसील कल्याण [illegible]
को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जाएगी । तहसील कल्याण अधिकारी स्वीकृति [illegible]
के पश्चात स्वीकृत पेंशनरों का विवरण सम्बन्धित [illegible]
प्रस्तुत करेगा कि पंचायत समय-2 पर पेंशनरों को [illegible]
करते रहेंगे तथा दुर्भाग्यवश यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है [illegible]
सूचना प्रस्तुत करेंगे । तहसील कल्याण अधिकारी [illegible]
में सूचित करेगा तथा नियम 7(1) में दिए गए रजिस्टर में स्वीकृति [illegible]
करेगा । यदि उस पेंशनर की [illegible]
न हो तो स्वीकृत पेंशन जीवन पर्यन्त लागू रहेगी ।

10. पैन्शन का वितरण:-

पैन्शन का वितरण त्रैमास आरम्भ होने पर किया जायेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा पैन्शन स्वीकृत किये जाने पर जिला कल्याण अधिकारी पैन्शन की राशि का आहरण खजाने से करके मनीआर्डर द्वारा पैन्शनर को भेज देगा या उसके डाकघर खाते में जमा करवा देगा जैसा कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में चाहा हो। पैन्शन त्रैमास आरम्भ होने पर भेजी जायेगी। मनीआर्डर का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तीन मास समाप्त होने के तुरन्त पश्चात अगले तीन मास की पैन्शन इसी प्रकार पैन्शनरों को अग्रिम रूप से भेज दी जायेगी या उनके खाते में जमा करवा दी जायेगी परन्तु पैन्शन की राशि भेजने से पहले पिछली तिमाही में भेजी गई राशि की रसीदें प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश मनीआर्डर वापिस आ जाए तो पुनः मनीआर्डर सरकार के खर्चे पर भेजा जाए। यदि पैन्शनर की मृत्यु अग्रिम पैन्शन प्राप्त करने के उपरान्त तीन मास समाप्त होने से पूर्व हो जाये तो ऐसे मामलों में अधिक दी गई राशि की वसूली नहीं की जायेगी।

पैन्शन का बन्द किया जाना:

11. स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी, जिला कल्याण अधिकारी अथवा कल्याण अधिकारी को यह ज्ञात हो जाए कि किसी व्यक्ति को पैन्शन गलती से या गलत सूचना के आधार पर स्वीकृत हुई है या जिन परिस्थितियों के आधार पर पैन्शन दी गई थी वह अब नहीं रही है तो वह उस पैन्शनर का पूरा विवरण जिला कल्याण समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेगा तथा जिला कल्याण समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ही पैन्शन जारी रखी या बन्द की जाएगी। ऐसे मामलों में जो पैन्शन वितरित हो चुकी होगी, उसकी वसूली नहीं की जायेगी परन्तु गलत सत्यापन करने के लिए अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विभाग द्वारा की जायेगी। मृत्यु के मामले में पैन्शन जिला कल्याण अधिकारी द्वारा स्वयं ही बन्द कर दी जायेगी तथा इसकी सूचना जिला कल्याण समिति को जब भी समिति की आगामी बैठक हो उसमें प्रस्तुत की जायेगी। इसी प्रकार विधवा के पुनर्विवाह की सूचना प्राप्त होने पर जिला कल्याण अधिकारी पैन्शन बन्द करके विवरण जिला कल्याण समिति की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। जिन मामलों में पैन्शन बन्द की जाती है उनमें प्रभावित व्यक्ति छः मास के भीतर-2 निदेशक (कल्याण) को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकता है तथा निदेशक (कल्याण) अपील पर जो निर्णय देंगे वह अन्तिम होगा।

पते में परिवर्तन:-

12. यह पैन्शनर का दायित्व होगा कि यदि उसके पते में कोई परिवर्तन हो तो वह परिवर्तित पते की सूचना सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी तथा कल्याण

कल्याण अधिकारी [illegible] देगा । जो पेन्शनर हिमाचल प्रदेश से बाहर 6 मास [illegible] समय तक रहेगा वह सामान्यतः पेन्शन का हकदार नहीं रहेगा । परन्तु यदि स्वीकृति अधिकारी पेन्शनर के प्रदेश से बाहर रहने की परिस्थितियों से संतुष्ट [illegible] वह पेन्शन जारी रखने में सक्षम होगा यदि पेन्शनर 2 साल से भी अधिक समय प्रदेश से बाहर रहे तो उसकी पेन्शन जिला कल्याण समिति से निर्णय प्राप्त करने उपरान्त बन्द कर दी जाएगी ।

नियत कालिक जाँच:

13. स्वीकृत पेन्शनरों की समय समय पर सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी अथवा तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा जाँच की जाती रहेगी । जब भी अधिकारी प्रवास पर जाएंगे तो वह उस क्षेत्र में पेन्शनर की आर्थिक स्थिति की [illegible] पंचायत तथा महिला मंडल के सहयोग से प्राप्त किया करेंगे तथा प्राप्त की गई [illegible] नियम 7(1) में दिए गए रजिस्टर में दर्ज की जाएगी ।

द्वितीय भाग

लेखांकन कार्यविधि:

14. प्रार्थना पत्र की प्राप्ति पर उसे नियम 7(1) में दिए गए रजिस्टर में जिला कल्याण अधिकारी अथवा तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा दर्ज करके प्रार्थना पत्र को स्थाई क्रमांक देकर पावती प्रार्थी को भेजी जाएगी ।

प्राथमिकता :-

15. नियम में वर्णित 3 प्रकार की पेन्शनों का अलग-2 प्राथमिकता क्रम प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति की तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी तथा यदि बजट में धनराशि का अभाव हो तो पेन्शनर के पेन्शन के प्रार्थना पत्र [illegible] प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों को लम्बित रखा जाएगा । रजिस्टर में दर्ज तिथि के आधार पर प्राथमिकता में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा ।

16. किसी भी न्यायालय द्वारा की गई कुर्की [illegible] पर लागू नहीं होगी ।

17. प्रत्येक स्वीकृत पेन्शनर का विवरण [illegible] पेन्शन 3 में रखा जाएगा जिसमें प्रति 6 माह में किया गया भुगतान का विवरण भी दर्ज किया जाएगा ।

....7...

18. प्रत्येक मनीआर्डर पर शब्द, हिमाचल प्रदेश, वृद्धावस्था पैन्शन / अपंग राहत भत्ता/ विधवा पैन्शन भी लागू होगा अंकित होगा तथा जैसे 3 मास की पैन्शन भेजी जा रही है उसकी अवधि एंव दर भी अंकित होगी । मनीआर्डर भेजने से पहले आहरण तथा वितरण अधिकारी यह भली-भान्ति जांच लेगा कि पैन्शनर का ठीक नाम व पता उसमें दिया गया है । वही अधिकारी निजी लैजर लेखा तथा उसी सत्यापन के बाद हस्ताक्षर करने का जिम्मेदार भी होगा ।

19. यदि पैन्शनर अनपढ़ हो तो मनीआर्डर का भुगतान किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की मौजूदगी में किया जाएगा । जो कि मनीआर्डर पर गवाही देगा । जिस पैन्शनर का अंगूठा लगेगा । यदि कोई पैन्शनर किसी कारण मनीआर्डर का अंगूठा / उंगलियों के चिन्ह नहीं लगा सकता तो उसकी राशि का भुगतान डाकघर विभाग के नियमों के अनुसार किया जाएगा । 12 साल से कम आयु वाले बच्चों की पैन्शन का भुगतान उनके माता पिता या संरक्षक को किया जाएगा । परन्तु ऐसा तो जिला कल्याण अधिकारी द्वारा निजी लैजर लेखा का निरीक्षण किया जाएगा तथा जिन वृद्धों/ अपंग/ विधवाओं की पैन्शन की अदायगी नहीं की गई होगी उनका छानबीन होगी तथा प्राप्त रसीदों को लैजर के उपयुक्त कालम में दर्ज कर उस पर "भुगतान" की मोहर लगाकर क्रमवार सम्बन्धित जिला के जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में रखा जाएगा । यदि पैन्शनरों की रसीद आने में 45 दिन से अधिक का समय लग जाए या भुगतान नहीं होने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हो जाए तो आहरण तथा वितरण अधिकारी, डाकतार विभाग के साथ मामले को उठाएगा और इसमें एक मास के अन्दर-2 अन्तिम निर्णय लेकर पैन्शनर को तथ्यों से अवगत करवायेगा तथा पैन्शन के भुगतान का प्रबन्ध करवायेगा । पैन्शनर के मनीआर्डर की रसीदें सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में भलि प्रकार दो वर्ष या जब तक औडिट नहीं हो जाए तब तक सुरक्षित रखी जाएगी पैन्शन योजना की वितरित धनराशि की लेखा परीक्षा महालेखाकार लेखा परीक्षा। हिमाचल प्रदेश शिमला-5 द्वारा की जाएगी ।

20. धनराशि की बड़ी मात्रा में नकद रूप में ले जाने की बजाय जहां तक सम्भव हो इसे डाकतार विभाग को धनराशि बैंक ड्राफ्ट /चैक द्वारा दी जाया करेगी ।

<u>बिना भुगतान की राशि :-</u>

21. आहरण तथा वितरण अधिकारी ऐसे मनीआर्डर की राशि को बिना भुगतान के वापिस आएगी को स्वयं प्राप्त करेगा यदि किसी कारणवश वह कार्यालय में न हो तो यह राशि मुख्यालय के तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी तथा जिला कल्याण अधिकारी के आने पर उसको रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और इस का विवरण अलग रजिस्टर जोकर पैन्शन फार्म-4 पर रखा जाएगा ।

रजिस्टर पर दर्ज विवरण आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया ....।

8. जो धनराशि बिना वितरण के वापिस प्राप्त होगी और रोकड़ में ... नहीं लिया जाएगा तो ... किया जाएगा । यदि इस राशि को ... पेन्शन ... को नहीं लिया जाता ... उस राशि जो वापिस हुई है उसके अगले 3 ... के ... में ... द्वारा ... किया जाएगा ।

8. सम्बन्धित जिलों के जिला कल्याण अधिकारी 6 माह में पेन्शन को वितरण करने के तुरन्त उपरान्त वैमासिक रिपोर्ट जून माह व दिसम्बर के अन्त में पेन्शन फार्म-5 पर निदेशालय समाज एवं महिला कल्याण को प्रस्तुत करेंगे । इसके साथ ही साधरण लम्बित पेन्शन मामलों का विवरण भी फार्म पेन्शन 6 पर प्रस्तुत किया जाएगा । परन्तु जिला के जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी के माध्यम से अपने जिले में तीनों प्रकार की पेन्शनों के पात्र व्यक्तियों का ... तथा वार्षिक रिपोर्ट फार्म-7 पर निदेशक, समाज एवं महिला कल्याण को ... वर्ष 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत की जाएगी ।

24. निदेशक, समाज एवं महिला कल्याण विभाग पेन्शन योजना के प्रबन्ध ... उत्तरदायी होंगे । वह इस योजना को ... रूप से कार्यान्वित करने हेतु ... -2 पर ... आदेश जारी करेंगे ।

लेखा शीर्ष:-

25. वृद्धावस्था पेन्शन तथा अपंग राहत भत्ता तथा विधवा पेन्शन का व्यय ... नीचे दिये गये निम्न लेखा शीर्ष या सरकार द्वारा निर्धारित लेखाशीर्ष से किया जाएगा ।

वृद्धावस्था पेन्शन / अपंग / राहत भत्ता:-

(1) 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-02 समाज कल्याण-102 सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पेंशन-01 वृद्धावस्था पेंशन(गैर योजना)।

विधवा पेन्शन:-

(1) 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण -02 समाज कल्याण-102-सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पेन्शन -02 विधवाओं को पेन्शन (गैर योजना)।

इन पेन्शनों से सम्बन्धित नियमों जो अधिसूचना सं0 12-2/71-... दिनांक 28.2.73 तथा कल्याण क-3-4/79 दिनांक 26.2.80 द्वारा अधिसूचित किये गये है उन नियमों के अधीन लिए गए निर्णय निरस्त किये जाएंगे तथा ... द्वारा अधिसूचित किए गए नियम का अधिसूचना के जारी होने के साथ-साथ निरसित ... ।

सचिव(कल्याण)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला-2

....9....

:...9....

सं0-कल्याण(ए)3-1/88 दिनांक शिमला-2 29 सितम्बर, 1989.

प्रतिलिपि:-

1. उप-नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-171005 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
2. समस्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हिमाचल प्रदेश।
5. निदेशक कल्याण हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
6. समस्त जिलाधीश हिमाचल प्रदेश।
7. वित्त विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-171002.

अवर सचिव(कल्याण),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

.....

(25) 210-

स्मरण पत्र

अति आवश्यक

संख्या : 20-21/
निदेशालय समाज एवं महिला कल्याण,
हिमाचल प्रदेश

प्रेषित

1. समस्त जिला कल्याण अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश ।
2. समस्त तहसील कल्याण अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश

दिनांक, शिमला-171002, 25 जुलाई JUL 1990

विषय : वृद्धावस्था/विधवा पेन्शन तथा अपंग राहत भत्ते के संशोधित नियम ।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र सम संख्या दिनांक 7.11.1989/23.11.1989 की ओर आकर्षित कर लिखा जाता है कि आपको जो पेन्शन योजना के नये संशोधित नियम उक्त पत्र के साथ भिजवाये गये हैं, उसमें कुछ अशुद्धियां थीं जिनका वर्णन उक्त पत्र में भी किया गया है । सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या : कल्याण-ए (3)-1/88 दिनांक 5.4.1990 द्वारा इन अशुद्धियों बारे शुद्धिपत्र जारी किया गया है जिसकी प्रति आपको भेजकर लिखा जाता है कि इन्हें उपरोक्त पत्र के साथ भेजे गये नियमों में प्रतिस्थापित करें तथा उसके अनुसार ही नियमों को क्रियान्वित करें ।

कृते निदेशक,
समाज एवं महिला कल्याण,
हिमाचल प्रदेश

संख्या : कल्याण-ई(ए) 3-1/88   दिनांक, शिमला- 2. 5 अप्रैल 1990

शुद्धि पत्र

इस विभाग के सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 29.9.1989 जिस के द्वारा वृद्धावस्था, विधवा पेन्शन तथा अपंग राहत भत्ता से सम्बन्धित नियम 1989 परिचालित किये गये हैं, में निम्नलिखित शुद्धियां की जाती हैं :-

(1) नियम 17 की पंक्ति 2 में शब्द " छः माह " के स्थान पर "तीन माह" प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) नियम 19 की पंक्ति 6 में शब्द "छः मास" के स्थान पर शब्द "त्रैमास" तथा इसी नियम की पंक्ति 4 में अंकित शब्द "डाकघर" के स्थान पर शब्द "डाकतार" प्रतिस्थापित किया जाये।

(3) पेन्शन फॉर्म-3 फॉर्म के कॉलम -6 में वर्णित "अर्द्धवार्षिक" शब्द के स्थान पर " त्रैमासिक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये।

(4) पेन्शन फॉर्म-4 फॉर्म के कॉलम- 4 की प्रथम पंक्ति में वर्णित शब्द " अर्द्धवार्षिक " को "त्रैमासिक" प्रतिस्थापित किया जावे।

(5) पेन्शन फॉर्म- 5 उपरोक्त फॉर्म की पहली पंक्ति में अंकित शब्द "अर्द्धवार्षिक " को "त्रैमासिक" प्रतिस्थापित किया जाये। तथा प्रपत्र के कॉलम 4, 5, 9, 10 व 13 में अंकित शब्द "अर्द्धवार्षिक " को "त्रैमासिक " प्रतिस्थापित किया जावे।

(6) पेन्शन फॉर्म -6 उपरोक्त फॉर्म की पहली व दूसरी पंक्ति में अंकित शब्द "अर्द्धवार्षिक " को " त्रैमासिक" प्रतिस्थापित किया जाये व प्रपत्र के कॉलम 3 व 6 में भी अंकित शब्द " अर्द्धवार्षिक" को " त्रैमासिक" प्रतिस्थापित किया जाये।

हस्ता0/-
सचिव (कल्याण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
शिमला-171002

पृ0 सं0:यथोपरि

उपनियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री/निदेशक (कल्याण)/समस्त जिलाधीश/वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ता0/-
अवर सचिव (कल्याण)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शि

संख्या-कल्याण(ए)3-1/88 दिनांक शिमला-2, 5 अप्रैल 1990

शुद्धिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29/9/89 जिसके द्वारा वृद्धावस्था विधवा पैंशन तथा अपंग राहत भत्ते से सम्बन्धित नियम, 1987 परिचालित किये है, में निम्नलिखित शुद्धियां की जाती हैं।

(1) नियम 17 की पंक्ति 2 में शब्द "छः माह" के स्थान पर "3 माह" प्रतिस्थापित किया जाए।

(2) नियम 19 की पंक्ति 6 में शब्द "छः मास" के स्थान पर शब्द "त्रैमास तथा इसी नियम की पंक्ति 4 में अंकित शब्द "डाकघर" के स्थान पर शब्द "डाकतार" प्रतिस्थापित किया जाये।

(3) पैंशन फार्म-3 फार्म के कालम "6" में वर्णित "अर्द्ध वार्षिक" शब्द के स्थान पर "त्रैमासिक" प्रतिस्थापित किया जाये।

(4) पैंशन फार्म-4 फार्म के कालम "4" की प्रथम पंक्ति में वर्णित शब्द "अर्धवार्षिक" को त्रैमासिक प्रतिस्थापित किया जाये।

(5) पैंशन फार्म -5 उपरोक्त फार्म की पहली पंक्ति में अंकित शब्द "अर्धवार्षिक" को "त्रैमासिक" प्रतिस्थापित किया जाये तथा प्रपत्र के कालम: 4,5,9,10 व 13 में अंकित शब्द "अर्ध वार्षिक" को "त्रैमासिक" प्रतिस्थापित किया जाये।

6. पैंशन फार्म-6 उपरोक्त फार्म की पहली व दूसरी पंक्ति में अंकित शब्द "अर्धवार्षिक" को त्रैमासिक" प्रतिस्थापित किया जाये व प्रपत्र के कालम 3 व 6 में भी अंकित शब्द "अर्ध वार्षिक" को "त्रैमासिक" प्रतिस्थापित किया जाये।

सचिव(कल्याण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
शिमला-171002.

संख्या:कल्याण(ए)3-1/88, दिनांक शिमला-2, 5 अप्रैल, 1990

प्रतिलिपि:-

1. उप-नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-171 005, को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
2. निदेशक कल्याण हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
3. समस्त जिलाधीश हिमाचल प्रदेश।
4. वित्त विभाग हि0 प्र0, शिमला-2.

अवर सचिव(कल्याण)

हिमाचल प्रदेश सरकार
समाज एवं महिला कल्याण विभाग।

संख्या: कल्याण-ग(10)-10/89 दिनांक शिमला-2, 21 अप्रैल, 1994.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दी जा रही वृद्धावस्था, विधवा पैन्शन एवं अपंग भत्ते को वर्तमान दर 60/-रूपये प्रतिमाह से 100/-रूपये प्रतिमाह तथा कुष्ठ राहत भत्ता 60/-रूपये प्रतिमाह से 120/-रूपये प्रतिमाह दिनांक 1.4.1994 से बढ़ाने के सहर्ष आदेश देते है।

2. इस में वित्त विभाग की पूर्व सहमति उनकी दैनिक संख्या: फिन(सी)बी(4)-1/93 दिनांक 8.4.94 द्वारा प्राप्त है।

आदेश द्वारा

सचिव(कल्याण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: कल्याण-ग(10)-10/89 दिनांक शिमला-2, 21 अप्रैल, 1994.

प्रतिलिपि:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
3. निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश।
4. निजी सचिव, राज्य मन्त्री(कल्याण) हिमाचल प्रदेश।
5. निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।
6. निजी सचिव, समस्त मन्त्री महोदय/मुख्य संसदीय सचिव को मन्त्रियों के सूचनार्थ।
7. निजी सचिव, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-4 को अध्यक्ष/उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
8. निदेशक, समाज एवं महिला कल्याण, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 को उनके पत्र संख्या 20-7/86-वैल पैन्शन दिनांक 12.1.94 के के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
10. उप सचिव(वित्त-विनियम), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
11. नियन्त्रक, हिमाचल प्रदेश सरकार मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री विभाग, शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
12. गार्ड फाईल।

संयुक्त सचिव(कल्याण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
समाज एवं महिला कल्याण विभाग
...

संख्या: कल्याण-ए(3)-1/88-I दिनांक शिमला-2, 7 मई, 1997.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पैन्शन नियम 1989 जो कि इस विभाग की अधिसूचना संख्या कल्याण-ए(3)-1/88 दिनांक 29.9.1989 के द्वारा अधिसूचित हुए थे, को अधिक्रमण करने का सहर्ष आदेश देते है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, सामाजिक सुरक्षा पैन्शन नियम, 1997 को परिचालित करने के सहर्ष आदेश देते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ::

(1) यह नियम हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पैन्शन नियम 1997 कहलाएंगे ।

(2) यह नियम सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू माने जाएंगे ।

2. उद्देश्य : इन नियमों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत उन वृद्धों, अपंगो, विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं तथा कुष्ठ रोगियों को आर्थिक सहायता देना है, जिनके पालन-पोषण एवं देख-रेख का कोई उचित साधन न हो ।

3. पात्रता: इन नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित वृद्ध, अपंग, विधवाएँ, परित्यक्त महिलाएँ तथा कुष्ठ रोगी जो हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी होंगे, पैन्शन/भत्ता पाने के लिए पात्र माने जाएँगे ।

(i)(क) वृद्ध : ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है तथा उनके पालन पोषण/देख रेख इत्यादि का उचित साधन न हो और न ही जिनके कमाने वाले अव्यस्क बच्चे है तथा जिनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 6,000/-रुपये से अधिक न हो ।

(ii) वृद्धावस्था पैन्शन के प्रार्थियों के यदि व्यस्क लड़के कमाने वाले हो और उनकी वार्षिक आय 11,000/-रुपये से अधिक न हो तथा परिवार के सदस्यों की कुल संख्या सामान्यतः 5 हो, पैन्शन के हकदार होंगे ।

(2)(ख) अपंग :

(i) ऐसे अपंग व्यक्ति जिनकी अपंगता 40% या इससे अधिक हो, जिनके पालन-पोषण तथा देखरेख का कोई साधन न हो या जिनके बच्चे अव्यस्क तथा कमाने वाले न हो और जिनकी वार्षिक आय 6,000/-रुपये से अधिक न हो ;

(ii) अपंग पैन्शन के प्रार्थियों के यदि व्यस्क कमाने वाले लड़के हो और उनकी वार्षिक आय 11,000/-रुपये से अधिक न हो और परिवार के सदस्यों की कुल संख्या सामान्यत: 5 हो, वह पैन्शन पाने के हकदार होगे ;

(iii) ऐसे अपंग बच्चे जिनकी अपंगता 40% या इससे अधिक हो तथा कि माता-पिता/अभिभावक या देख-रेख करने वालों की वार्षिक आय 6,000/-रुपये से अधिक न हो ;

(iv) ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से अविकसित या पागल हो, जिनके पालन-पोषण/देखरेख का कोई साधन न हो या अपनी रोजी-रोटी कमाने में असमर्थ हो एवं उनकी या उनके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 6,000/-रुपये से अधिक न हो ।

नोट :- ऐसे व्यक्तियों को अपंग राहत भत्ता/पैन्शन उनके माता-पिता या अभिभावकों (गार्डियन) के माध्यम से दिया जाएगा ।

(3)(ग) विधवाएँ/परित्यक्त महिलाएँ :

(i) ऐसी विधवाएँ/परित्यक्त महिलाएँ जिनका कोई भी जीवन निर्वाह का साधन अथवा देख रेख करने वाला/वाली न हो और न ही कमाने वाले अव्यस्क बच्चे हों और जिनकी वार्षिक आय सभी साधनों से 6,000/-रुपये से अधिक न हो, विधवा पैन्शन/परित्यक्त पैन्शन पाने की पात्र होगी ;

(ii) विधवा/परित्यक्त पैन्शन के प्रार्थियों के यदि व्यस्क पुत्र कमाने वाले हों और उनकी वार्षिक आय 11,000/-रुपये से अधिक न हो तथा परिवार के सदस्यों की कुल संख्या सामान्यत: 5 हो, वह पैन्शन पाने के हकदार होंगे ।

: ऐसे कुष्ठ रोगी जो हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हों, कुष्ठ रोगी पेन्शन/भत्ता पाने के हकदार होंगे । कुष्ठ रोगी भत्ता/पैंशन प्राप्त करने के लिए आयु तथा आय सीमा लागू नहीं होगी ।

शन की दर : सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वृद्धों, अपंगों, विधवाओं तथा परित्यक्त महिलाओं को 100/-रुपये प्रति माह की दर से तथा कुष्ठ रोगियों को 120/-रुपये प्रति माह की दर से या उक्त दर से जो सरकार समय-समय पर निर्धारित करेगी, पेन्शन देय होगी ।

- §i§ वृद्धों को दी जाने वाली पेन्शन वृद्धावस्था पेन्शन, अपंगों को दी जाने वाली अपंग राहत भत्ता/पेन्शन, विधवाओं/परित्यक्त महिलाओं को दी जाने वाली विधवा/परित्यक्तता पेन्शन तथा कुष्ठ रोगियों को दी जाने वाली कुष्ठ रोगी पेन्शन कहलाएगी ।

§ii§ भिखारी पैंशन पाने के हकदार नहीं होंगे । ऐसे अपराधी जिनके आपराधिक मामले पुलिस में दर्ज होंगे या जिनके विरुद्ध मामले न्यायालय में चल रहे होंगे, पेन्शन के हकदार नहीं होंगे ।

आदेश द्वारा,
परमिन्दर माथुर
आयुक्त एवं सचिव§कल्याण§,
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

:कल्याण-ए§3§-1/88-II दिनांक शिमला-2, 7 मई, 1997.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को :-

निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

निजी सचिव समस्त मन्त्री/राज्य मन्त्री/संसदीय सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय मन्त्रियों/संसदीय सचिवों के सूचनार्थ ।

प्रधान सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।

सचिव, हिमाचल प्रदेश, विधान सभा, शिमला-171004

समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2

समस्त प्रशासी सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 समस्त आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

समस्त जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी हिमाचल प्रदेश को निदेशक, समाज एवं महिला कल्याण के माध्यम से आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही हेतु ।

निदेशक, समाज एवं महिला कल्याण, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 को उनके संख्या: 20-21/86-वैल0ओ0एस0डी0-III दिनांक 10.1.1994 के संदर्भ में अतिरिक्त प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अवर सचिव, वित्त§विनियम§हिमाचल प्रदेश सरकार को नियम की एक प्रति सहित ।

महालेखाकार§लेखा परीक्षा§हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 को एक प्रति सहित ।

अतिरिक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग§मन्त्रिमण्डल एवं गोपनीय अनुभाग§ हिमाचल प्रदेश सरकार को केवल सूचनार्थ ।

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हि0प्र0शिमला-171005 को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि इन नियमों को राजपत्र§असाधारण§में प्रकाशन हेतु उनसे यह भी अनुरोध है कि राजपत्र की 50 प्रति विभाग को कार्यालय रिकार्ड हेतु भेजें ।

गार्ड फाईल ।

7s/- 7/5/97

संयुक्त सचिव§कल्याण§,
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

— 167

31

हिमाचल प्रदेश सरकार
समाज एंव महिला कल्याण विभाग ।

संख्या:कल्याण-ए(3)-1/88-1 दिनांक शिमला-171002, 01 सितम्बर, 1998.

All DWOs through fax also

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश , सामाजिक सुरक्षा पैन्शन नियम, 199- जो इस विभाग की अधिसूचना संख्या:कल्याण-ए(3)-1/88, दिनांक 7.5.1997 द्वारा अधिसूचित हुए थे, में निम्नलिखित संशोधनों के सहर्ष आदेश देती हैं:-

क्र.संख्या-4 में पैन्शन की दर

(1) वृद्धों, अपंगों, विधवाओं तथा परित्यक्त महिलाओं की पैंशन की वर्तमान दर को 100/-रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 150/-रूपये प्रतिमाह किया जाता है.; तथा

(11) कुष्ठ रोगियों की पैंशन की वर्तमान दर को 120/-रूपये प्रतिमाह से बढ़ा कर 170/-रूपये प्रतिमाह किया जाता है ।

यह संशोधित दरें दिनांक 1.8.98 से प्रभावी मानी जायेंगी ।

आदेश द्वारा

कंवर शमशेर सिंह
वित्तायुक्त एंव सचिव(कल्याण)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

संख्या:कल्याण-ए(3)-1/88-1 दिनांक शिमला-171002, 01 सितम्बर, 1998.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. निजि सचिव, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
2. निजि सचिव, समस्त मन्त्री/राज्य मन्त्री/मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 ।
3. प्रधान सचिव(मुख्य मन्त्री) हि0प्र0शिमला-2.
4. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
5. सचिव, हि0प्र0विधान सभा, शिमला-4.
6. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश
8. समस्त जिला कल्याण अधिकारी तहसील कल्याण अधिकारी, हि0प्र0 को निदेशक(कल्याण) के माध्यम से)
9. निदेशक, समाज एंव महिला कल्याण, हि0प्र0शिमला-2 को उनके पत्र संख्या 20-12/86-वेल. ए.ओ., दिनांक 31.7.98 के सन्दर्भ में 100 अतिरिक्त प्रतियां सहित ।
10. अवर सचिव(वित्त-विनियम) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
11. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) हि0प्र0शिमला-3.
12. अतिरिक्त सचिव(सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
13. नियन्त्रक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री विभाग, हि0प्र0शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करने हेतु तथा उनसे अनुरोध है कि 50 प्रतियां इस विभाग को भेज दें ।
14. [illegible]

(हस्ताक्षर) (सी. आर. ...)

197

(32)

13747
3-8-02

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक महिला एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

संख्या:डब्लू०एस०एफ०-डी(4)-1/2002 दिनांक, शिमला-2 27 जुलाई, 2002

31-07-02
ADI Supdt (S.W.)

अधिसूचना

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, सामाजिक सुरक्षा पैंशन नियम, 1997 को इस विभाग की अधिसूचना संख्या:कल्याण-ए(3)-1/98-1, दिनांक 1 सितम्बर, 1998 द्वारा अधिसूचित हुए थे, में निम्नलिखित संशोधनों के सहर्ष आदेश देते हैं :-

नियम संख्या- 4 में पैंशन की दर

(i) वृद्धों, अपंगों, विधवाओं तथा परित्यक्त महिलाओं की पैंशन की वर्तमान दर को 150/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 200/- रुपये प्रतिमाह किया जाता है; तथा

(ii) कुष्ठ रोगियों की पैंशन की वर्तमान दर को 170/-रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 220/-रुपये प्रतिमाह किया जाता है ।

यह संशोधित दरें दिनांक 1.8.2002 से प्रभावी मानी जायेगी ।

आदेश द्वारा

(टी० जी० नेगी)
सचिव(कल्याण)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

संख्या:डब्लू०एस०एफ०-डी(4)-1/2002, दिनांक शिमला-171002, 27 जुलाई, 2002.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.
2. निजी सचिव, समस्त मन्त्री/राज्य मन्त्री/संसदीय सचिव, हि०प्र० शिमला-2
3. प्रधान सचिव(मुख्य मन्त्री) हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
4. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
5. सचिव हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-4.
6. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी, हि०प्र० को निदेशक(कल्याण) के माध्यम से ।
9. निदेशक, सामाजिक महिला एवं अनुसूचित जाति कल्याण हिमाचल प्रदेश को 100 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।

-2-

प्रति:-

1. अवर सचिव (वित्त) वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला-3.
3. अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करने हेतु तथा अनुरोध है कि राजपत्र की प्रति इस विभाग को भी भेजें।

संरक्षण नस्ति।

अतिरिक्त सचिव (कल्याण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
27/07.

......

हिमाचल प्रदेश सरकार
समाज, महिला एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

संख्या डब्ल्यु.एल.एफ.–डी(4) –1/2002 दिनांक, शिमला–2 28 सितम्बर,2002

शुद्धिपत्र

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : डब्ल्यु. एल.एफ.–डी(4) –1/2002 दिनांक 27 जुलाई,2002 में क्रम संख्या–4 के मद संख्या (ii) में 220/– रूपये के स्थान पर 200/– रूपये पढ़े जाने के सहर्ष आदेश जारी करते हैं।

(टी.जी. नेगी)
सचिव (कल्याण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या डब्ल्यु.एल.एफ.–डी(4) –1/2002दिनांक, शिमला–2 28 सितम्बर,2002
प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला 02.
2. निजी सचिव, समस्त मन्त्री/राज्य मन्त्री/ संसदीय सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार–02.
3. प्रधान सचिव (मुख्यमन्त्री), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–02
4. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला –171002
5. सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला–171004
6. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002.
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
8. समस्त जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश को निदेशक (कल्याण) के माध्यम से।
9. निदेशक, समाज महिला एवं अनुसूचित जाति कल्याण हिमाचल प्रदेश को 100 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
10. अवर सचिव(वित्त विनियम) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–02.
11. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला –171002.
12. अतिरिक्त सचिव(सामान्य प्रशासन विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–02.
13. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171005 को राजपत्र(असाधारण) में प्रकाशित करने हेतु तथा इनसे अनुरोध है कि राजपत्र की प्रति इस विभाग को भी भेजें।
14. संरक्षण नस्ति।

अतिरिक्त सचिव(कल्याण)

Government of Himachal Pradesh
Deptt. of Social Justice & Empowerment

No. SJE-C(1)-2/2005 Dated Shimla-2, 20th day of February, 2008.

NOTIFICATION

In continuation of this department notification No. Kalyan-A(3)-1/88-I dated 7.5.1997 and WLF-D(4)-1//2002 dated 27.7.2002, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to substitute Rule No. 4(1) and 4(II) of the Social Security Pension Rules, 1997 as under:-

Sr. No. 4 – Rate of Pension

(1) The rate of Social Security Pension being provided to the Old Persons, Widows/Deserted Women, Disabled/Handicapped Persons and Lepers will be Rs. 300/- per month in place of Rs. 200/- per month

2. The pension will be paid at enhanced rate of Rs. 300/- per month w.e.f.1.1.2008.

3. This is issued with the prior approval of the Finance Department vide their U.O. No. Fin-A-C(2)-2/07 dated 6.2.2008.

By Order

Principal Secretary(SJ&E)to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. SJE-C(1)-2/2005 Dated Shimla-2, the 20th day of February, 2008.
Copy to:-

1. The Principal Secretary to the Chief Minister, H.P.
2. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, H.P.
3. The Chief Secretary to the Government of H.P.
4. The Secretary, H.P. Vidhan Sabha, H.P.
5. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.
6. All the Deputy Commissioners in H.P.
7. All the DWOs and TWOs in H.P. (through the Director, SJ&E, H.P.
8. The Director, Social Justice and Empowerment, H.P., Shimla-171009 with 100 additional copies.
9. The Deputy Secretary (Finance Budget) to the Govt. of H.P., H.P.
10. The Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Shimla-3.
11. The Addl Secretary (SAD) to the Govt. of H.P.
12. The Controller, Printing and Stationery, H.P., Shimla-171005 for printing in Rajpatra.
13. Guard file.

Under Secretary(SJ&E)to the
Government of Himachal Pradesh.

Government of Himachal Pradesh
Department of Social Justice & Empowerment (B)

......

No. SJE-B-C (1)-2/2005 Dated Shimla-2, 20th August, 2008.

NOTIFICATION

In continuation of this department notification No.Kalyan –A-(3)/88-1, dated 7th May, 1997, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to add the following clause below Rule 3 of Social Security Pension Rules, 1997 :-

> **"Identified person(s) of the BPL families identified by the Rural Development Department shall be given priority for sanctioning Pension under the Rules".**

By Order

Principal Secretary (SJ&E) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No.SJE-B-C(1)-2/2005 Dated Shimla-2, 20th August, 2008.
Copy to:-

1. The Chief Secretary, Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. The Principal Secretary to Chief Minister, Himachal Pradesh Shimla-2.
3. All the Administrative Secretaries to Government of H.P., Shimla-2.
4. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-2.
5. The Director, Social Justice & Empowerment , H.P., Shimla-9(with 100 additional copies).
6. All the Deputy Commissioners in H.P.
7. All the DWOs and TWOs in H.P.(Through the Director, SJ&E, H.P.Shimla-9)
8. The Deputy Secretary (Finance) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
9. The Accountant General, (A&E) Himachal Pradesh, Shimla-3.
10. The Additional .Secretary (SAD) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.
11. The Controller Printing and Stationery, H.P. Shimla-171005 for printing in the Rajpatra.
12. Guard file./Spare copies-25.

(R.S.Verma)
Under Secretary (SJ&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

(37)

Government of Himachal Pradesh
Department of Social Justice & Empowerment-B

....

No.SJE.-B-C(1)2/2005 dated Shimla-2, the 25th October,2008.

NOTIFICATION

The Governor, Himachal Pradesh is pleased to enhance the Social Security Pension being given to the beneficiaries under the Social Security Pension Rules 1997 by 10% w.e.f. 1.1.2009.

By order

Rashima Gupta
Principal Secretary(SJE) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. SJE.-B-C(1)2/2005 dated Shimla-2, the 25th October,2008.

Copy to:-

1.The Chief Secretary, Himachal Pradesh, Shimla-2.
2.The Principal Secretary to the Chief Minister, H.P.Shimla-2.
3.The Secretary, Vidhan Sabha, H.P.Shimla-3.
4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla-2.
5. The Director, Social Justice and Empowerment, H.P.Shimla-171009.It is requested that a proposal for seeking additional financial sanction consequent upon enhancement of SSP may be sent immediately.
6.The Under Secretary(GAD) to the Govt. of H.P. Shimla-2 for information and compliance of Cabinet decision No.2 dated 18.10.2008.
7.All the Deputy Commissioners, H.P.
8.All the DWOs and TWOs in H.P. (through the Director, SJE., HP).
9.The Deputy Secretary(Budget) to the Govt. of H.P.Shimla-2.
10.The Accountant General(A&E) Himachal Pradesh, Shimla-171003.
11.The Controller, Printing and Stationery, H.P.Shimla-5 for printing in Rajpatra.
12.Guard file.(25 spare copies).

Under Secretary (SJ&E) to the
Government of Himachal Pradesh

Government of Himachal Pradesh
Department of Social & Women Welfare.

No. WLF-A(3) -4/2000 Dated Shimla-171002.

NOTIFICATION

In continuation to this department notification of even numb 7th may,1997 and with a view to strengthen the Panchayati Raj Institutions . The of Himachal Pradesh is pleased to entrust the selection of beneficiaries of Old age under Social Security Pension Scheme to Gram Sabha as per guidelines mentioned t

(i) The Gram Sabha shall identify the eligible persons as per processors laid Himachal Pradesh Panchayati Raj Act. 1994 as amended from time to time. The identification shall be down as per eligibility criteria circulated v department notification No. Kalyan -A(3)-1/88-1 dated 7th may, 1997.

(ii) In the meeting of Gram Sabha. Halqua Patwari shall certify the annual inc persons as per yard sticks fixed by Revenue Department.

(iii) The concerned Gram Sabha shall draw three lists of eligible persons on fo priority basis. :-

(a) First List :- The person who is the oldest in age, issueless, having lowest among the identified persons shall be placed at number one in list and the posi other persons shall be fixed accordingly.

(b) Second List.- The person who is the oldest in age, having minor childre lowest income amongst the identified persons shall be placed at number one list and the position of the other person shall be fixed accordingly.

(c) Third List:- The person who is oldest in age, having lowest income incl sons unmarried daughters amongst the identified persons shall be placed at nu one in the list and position of other person shall be fixed accordingly.

(IV) The target of pensioners shall be fixed on the basis of population of Panchaya the policy laid down by the Govt. from time to time.

(V) The concerned Gram Sabha shall submit the list of identified persons to the Di Welfare Officer of the concerned District.

(VI) Panchayat-wise register of priority lists will be maintained in the office of District Welfare Officer.

(VII) The District Welfare Officer will ensure that pension is sanctioned by the competent authority as per targets allotted strictly in accordance with priority lists.

(VIII) It shall be obligatory on the part of Gram Panchayats to get the list of pensioners reviewed in the meeting of Gram Sabha every year. In such meeting the list of pensioner will be reviewed and cases found ineligible on one reason or the other shall be prepared and sent to District Welfare Officer alongwith resolution for stoppage of pension.

(IX) The Pradhan of concerned Gram Panchayat will be held responsible , if ineligible persons are identified.

(X) The concerned District Welfare Officer shall send report of identified persons to whom pension have been sanctioned at the end of each quarter to Director Social and Women's Welfare Himachal Pradesh. The Director Welfare will send the quarterly consolidated report to the Government.

The distribution of old age pension shall continue to be done by the Welfare Department as per the present practice.

By order

(Harinder Hira)

Commr.-cum-Secretary (Welfare) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst No. WEL-A(3)-4/2000 dated Shimla -2

Copy to the followings for information and necessary action.

1. Commr.-cum-Secretary (Panchayati Raj) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2
2. Director. Social & Women Welfare. Himachal Pradesh. Shimla -2.
3. The Controller P& S Himachal Pradesh Govt Press Shimla-5 for publication in the Rajpatra.
4. Guard file.

Additional Secretary(Welfare) to the
Government of Himachal Pradesh.